(143)

R 2247-I/06

न्यायालय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक: /06 पुनरीक्षण याचिका,

श्री कमलसिंह आंजना अभि. द्वारा दिनांक 29-11-06 को केम्प उज्जैन पर पेश
29/11/06

बगदीराम पिता धन्नाजी, जाति गायरी, आयु करीबन 40 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी ग्राम ऊणी तहसील जावरा, जिला रतलाम --------आवेदक,

विरुद्ध

1• अमृतराम पिता हेमाजी, जाति भोई, आयु करीबन 50 वर्ष,

2• महावचंद पिता हेमाजी, जाति भोई, आयु करीबन 40 वर्ष,

3• नंदीबाई बेवा हेमाजी, जाति भोई, आयु करीबन 70 वर्ष, सभी का धंधा कृषि, निवासीगण ग्राम ऊणी, तहसील जावरा, जिला रतलाम म0प्र0 ---अनावेदकगण,

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय जावरा के प्रकरण क्रमांक- 2-ए-13/2005-06 में पारित आदेश दिनांक- 2.9.06 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण याचिका अंदर अवधि प्रस्तुत करता है -

29.11.06

1- यह कि, विद्वान अधिनस्थ योग्य न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय ने जेर निगरानी आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है इसलिये अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2- यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने नायब तहसीलदार ने न्यायालय अंतर्निहित शक्ति इन हरेन्ट पॉवर का न्याय पूर्ण उपयोग नहीं करने में वैधानिक त्रुटि की हैं।

XXIX(a)-BR(H)-11

26

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2247-एक/06 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	